महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, गुजरात एवं मध्यप्रदेश का लोकप्रिय समाचार पत्र

RNI No. MAHHIN/2013/49425
डाक पंजीयन सं. MNW/251/2016-2018
e-paper : www.srushtiagronews.com

Posted at Malad NDPO Dated of Posting
4th to 5th for (1st to 15th issue)
18th to 19th for (16th to 30th issue)

ग्रामीण विकास का सम्पूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

सृष्टि एग्रो

वर्ष -5 | अंक-11 | मुंबई, 1 से 15 जुलाई 2017 | मूल्य - 2 रुपए | पृष्ठ - 8

महाराष्ट्र में किसानों का डेढ़ लाख तक कर्ज माफ

मुंबई (कासं)। महाराष्ट्र सरकार ने सूबे के किसानों का डेढ़ लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की है। इससे सरकारी खजाने पर 34,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसका लाभ करीब 89 लाख किसानों को मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि हम डेढ़ लाख रुपये तक पूरा कर्ज माफ करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो किसान अपने कर्ज की किस्त नियमित भरते रहे हैं, उनके कुल ऋण का 25 फीसद भी सरकार अनुदान के रूप में देगी। लेकिन, इसकी अधिकतम सीमा 25,000 ही होगी। यह अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, सूबे के 90 फीसद किसानों को इस कर्जमाफी योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना लागू होने के बाद बैंकों में जमानत के तौर पर जमा करीब 40 लाख किसानों के खेतों के कागजात वापस मिल जाएंगे। सरकार ने इस योजना को छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना नाम दिया है। बता दें कि जून के प्रथम सप्ताह में सूबे के किसानों ने राज्यव्यापी हड़ताल शुरू कर दी थी। यह हड़ताल किसानों को कर्जमाफी देने के आश्वासन के बाद ही समाप्त हुई थी। लेकिन तब सरकार ने सिर्फ एक लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था। अब सरकार ने डेढ़ लाख रुपये माफ करने की घोषणा की है। मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, नौकरशाहों, करदाताओं एवं वैट भरने वाले व्यापारियों के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। भाजपा के विधायकों एवं मंत्रियों को अपने एक माह का वेतन इस योजना में देने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। फड़नवीस ने अपने निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस योजना से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ेगा। राज्य पर पहले से 3.56 लाख करोड़ का बड़ा कर्ज है। इस कर्जमाफी योजना के लिए भी सरकार बैंकों से ऋण लेगी। सरकार दूसरे विभागों के खर्च में कटौती कर इस कर्ज की भरपाई करेगी। फड़नवीस ने कहा कि किसान संपूर्ण ऋणमाफी की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम 34,000 करोड़ रुपयों से अधिक का बोझ उठाने की स्थिति में नहीं हैं।

सूबे के 90 फीसद किसानों को इस कर्जमाफी योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना लागू होने के बाद बैंकों में जमानत के तौर पर जमा करीब 40 लाख किसानों के खेतों के कागजात वापस मिल जाएंगे।

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस

धान की दो नई किस्में विकसित

लखनऊ (कासं)। खरीफ के सीजन में धान की बुवाई करने की तैयारी कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। किसान कम लागत में अधिक धान की उपज ले सकें इसके लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिकों ने धान की दो नई प्रजातियां पंत धान 22 और पंत धान 28 विकसित किया है। इस साल मई महीने में विकसित की गईं यह प्रजातियां मध्यम अगेती ओर मध्यम अविध में पकने वाली हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए यहां के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के डीन डॉ. एनएस मूर्ति ने बताया हमारे विश्वविद्यलाय के ब्रीडिंग डिपार्टमेंट के कृषि वैज्ञानिक डॉ. सुरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में धान की दो महत्वपूर्ण किस्मों को विकसित करने में सफलता मिली है। इन प्रजातियों को विकसित करने में पिछले एक दशक से काम कर रहे यहां के डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के प्रोफेसर एंड सीनियर राइस ब्रीडर डॉ. सुरेन्द्र सिंह ने बताया धान की यह दोनों प्रजातियां किसानों के लिए लाभकारी होंगी। उन्होंने बताया कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर पिछले पांच सालों में विभिन्न प्रकार धान की छह प्रजातियों को भी विकसित किया है। पंत धान 23, पंत धान 26, सुगंधित धान की पंत धान सुगंध 25 और पंत धान सुगंध 27 भी यहां के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। जिसकी सफलाता पूर्वक खेती करके किसान अच्छी पैदावार ले रहे हैं। डॉ. सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि इसी साल विश्वविद्यालय की तरफ से पहली बार बासमती धान की दो उन्नत प्रजातियां पंत बासमती-1 और बासमती-2 को भी विकसित किया गया है। पंत बासमती-1 उत्तराखंड के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के लिए भी संस्तुति की गई है।

Hindchem Corproation

SUPPER POTASSIUM HUMATE SHINY FLAKES

ZINK EDTA

SEAWEED EXTRACT FLACKES

N.P.K. WATER SOLUBLE FERTILIZER

AMINO ACID

- AMINO+HUMIC SHINY BALLS
- FERROUS SULPHATE19%
- MAGNESIUM SULPHATE 9.6%
- FERROUS EDTA12%
- E.D.T.A. ACID
- CAMPHOR
- SODIUM BICARBONATE
- EDTA DISODIUM
- CITRIC ACID MONOHYDRATE
- MANGANESE SULPHATE 30.5%
- SULPHUR 90% -80WDG
- BORON 20%
- BRONOPOL 25%
- PHOSPHORIC ACID

We Welcome Your Valuable Inquiry
Tel. 022-66998360/61
Fax-022-66450908
Email id: mamta@hindchem.com
Mo. 9004744077

सम्पादकीय

आखिरकार 'जीएसटी' अंगीकृत

आखिरकार देश ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को अंगीकृत कर ही लिया। संसद के केंद्रीय कक्ष में एक भव्य समारोह में आजादी के बाद के सबसे बड़े कर सुधार का शुभारंभ किया गया। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस समारोह में शामिल नहीं हुए। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि जीएसटी देश के आर्थिक इतिहास की एक अहम परिघटना है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने-अपने भाषण में इसे भारतीय राजनीति का एक अहम मोड़ और संघीय ढांचे की सफलता का बढ़िया उदाहरण बताया। विजय केलकर की अध्यक्षता वाले एक कार्यबल ने 2003 में पहली बार जीएसटी का विचार रखा था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने उन अनुशंसाओं का स्वागत किया था। बाद में कांग्रेसनीत संप्रग सरकार ने वर्ष 2011 में इसे लेकर ठोस कदम उठाए। वक्त बीतने के साथ तमाम दलों ने पार्टी लाइन से परे जाकर इसमें योगदान किया। भाजपा के यशवंत सिन्हा ने जीएसटी परिषद का प्रारूप बनाने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता की। कई विपक्षी नेताओं ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह का नेतृत्व किया। इनमें पश्चिम बंगाल से माकपा के असीम दासगुप्ता, केरल कांग्रेस (एम) के के एम मणि तथा जम्मू कश्मीर से नैशनल कॉन्फ्रेंस के ए आर राथेर शामिल थे। बहरहाल, 14 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार जीएसटी परिषद के सभी निर्णयों पर सहमति बन गई।

आर्थिक संदर्भ में बात करें तो जीएसटी 17 अप्रत्यक्ष करों और 23 उपकरों का स्थान ले चुका है। जम्मू कश्मीर के अलावा पूरा देश इस व्यवस्था के अधीन आ चुका है। उम्मीद है कि इस सप्ताह तक वह भी इसे अपना लेगा। इसमें शामिल सेवाओं और वस्तुओं के लिए पूरा देश एक बाजार बन चुका है। चूंकि यह कर उत्पादन के हर स्तर पर मूल्यवर्धन पर आधारित है इसलिए उत्पादकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की सुविधा है। इससे पहले की तरह अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का ढलता हुआ प्रभाव नहीं होगा। यह सामाजिक रूप से भी एक बड़ा और समता लाने वाला सुधार है क्योंकि यह ईमानदार करदाताओं को मजबूती देता है जबकि भ्रष्ट और करवंचना करने वालों के लिए मुश्किल बढ़ाता है। इस प्रक्रिया में यह कर दायरे का विस्तार करता है। कम कर दर से केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व में इजाफा होने की संभावना है। इस राशि को कल्याण कार्यों में खर्च किया जा सकता है। यह न केवल घरेलू उत्पादकों के लिए प्रक्रिया को सहज बनाता है और कर अधिकारियों की मनमर्जी पर अंकुश लगाता है। जीएसटी वैश्विक निवेशकों के लिए भी सुखद संकेत समेटे है। जाहिर सी बात है कि जीएसटी भारत को सही मायनों में कारोबारी सुगमता की राह प्रदान कर रहा है। यह भी सच है कि कई जिंस मसलन पेट्रोल, डीजल और शराब तथा 80 सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। इससे न केवल कर दायरे का विस्तार रुकेगा बल्कि संभावित राजस्व और काला धन रोकने संबंधी प्रधानमंत्री के आह्वान पर भी असर होगा। कई रिपोर्टों से पता चलता है कि कई छोटे कारोबारी जीएसटी ढांचे में बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। सरकार ने अंतिम दौर में जीएसटी लागू करने को लेकर खासी तेजी दिखाई। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि एकदम शुरुआत में ही तमाम गड़बड़ियों को दूर करना होगा। तभी कर व्यवस्था में लोगों का यकीन बना रहेगा। यह केंद्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रपति की सलाह मानें और लगातार जीएसटी क्रि यान्वयन की समीक्षा और सुधार को लेकर तत्पर रहें।

लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म, निवेश की आशंका शुरू

मुंबई (कासं)। पौध किस्मों तथा कृषक अधिकारों का संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) द्वारा प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त किए जाने से कृषि अनुसंधान में जुटी मोनसैंटो, माहिको आदि कंपनियों को नए निवेश की राह में बड़ी बाधा उत्पन्न होने का डर पैदा हो गया है। पीपीवीएफआरए ने हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित (जीएम) बीटी कपास की नई किस्मों के लिए पौधों के विशिष्ट प्रजनकों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला किया था। संकर बीज विनिर्माताओं ने इस फैसले का विरोध किया है। प्रौद्योगिकी प्रदाताओं से लाइसेंस लेने की जरूरत खत्म होने के कारण कृषि संबंधी शोध एवं अनुसंधान में लगी मोनसैंटो और माहिको जैसी कंपनियां के सामने खासतौर पर भारत में कृषि अनुसंधान के लिए नए निवेश का संकट उत्पन्न हो गया है। इसका अर्थ यह है कि पेटेंट वाले बीजों की किस्मों पर अनुसंधान में जुटी प्रमुख कंपनियों को आगे बीजों की किस्मों के विकास के लिए सहायक प्रजनकों को लाइसेंस जारी करने की जरूरत नहीं होगी। पौध किस्मों तथा कृषक अधिकारों का संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) बीज कंपनियों के अधिकारों का पर्यवेक्षण करने वाला विनियामक है। भारत में अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर द बायोटेक लेड इंटरप्राइजीस-एग्रीकल्चर ग्रुप (एब्ल-एग) के कार्यकारी निदेशक शिवेंद्र बजाज ने कहा कि आनुवांशिक रूप से संशोधित प्रौद्योगिकी वाली किस्मों के संदर्भ में प्रौद्योगिकी प्रदाता की ओर से जारी एक स्वीकृति पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि आवेदन के समय बीज कंपनी द्वारा विनियामक विभागों में पर्याप्त और सही जानकारी दी जाएगी।

इससे किसानों और विनियामकों को बीज की किस्म के सूक्ष्म परिचायक का वर्णन करने के लिए भी साफ और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

खजूर का बायोड रोग एवं उसका प्रबंधन

विरेन्द्र कुमार, विद्यावाचस्पति शोध छात्र (पादप रोग विभाग),
राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर) श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (राजस्थान)

बायोड अरबी भाषा के शब्द 'अबीआध' से बना है जिसका अर्थ होता है-खजूर की अपुष्प-पर्ण (Fronds) का सफेद होना। 1870 में इस रोग की सूचना सबसे पहले जगोरा-मोरक्को में मिली थी। 1940 तक यह रोग व्यावहारिक रूप से सभी मोरक्को ताड़ पेड़ों के साथ-साथ पश्चिमी और मध्य अल्जीरिया सहारा के क्षेत्रों में होने लगा था। बायोड रोग ने जब अपना मारक महामारी रूप प्रस्तुत किया था तब इससे बहुत तबाही मची थी। बायोड रोग ने एक सदी में बारह लाख से अधिक मोरक्को में और तीन लाख से अधिक अल्जीरिया में खजूर के पेड़ों को नष्ट कर दिया था। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और उच्च गुणवत्तायुक्त फलोपज देने वाली किस्मों (मेडजूल, डेगलेट, नूर, बोउ और फैगस) को बायोड रोग ने नष्ट कर दिया था। यह मरुस्थलीकरण की एक विध्वंसकारी घटना थी। इसके परिणामस्वरूप किसानों को मजबूर होकर अपनी जमीनें छोड़कर बड़े शहरों की ओर पलायन करना पड़ा था। अल्जीरिया में रोगनिरोधी उपायों की खोज के लिए नियमित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बायोड रोग का समूल उन्मूलन किया जा सके। यह निश्चित रूप से, दुनिया के खजूर उत्पादक क्षेत्रों में मानव की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। बायोड रोग प्लेग की तरह है अत: इसके लिए एक संगठन का गठन किया गया है जो इस रोग के क्षेत्र एवं दुनिया के अन्य खजूर उत्पादक क्षेत्रों में इस रोग के उन्मूलन के लिए काम करेगा।

रोग के लक्षण: इस रोग का संक्रमण परिपक्व और युवा पौधों से साथ-साथ प्रशाखाओं (आफ शूट्स) पर होता है।

बाहरी लक्षण: इस बीमारी के लक्षण सबसे पहले पेड़ के ऊपरी सीरे पर (क्राउन) की पत्तियों के बीच में प्रकट होते हैं। इस रोग के कारण पत्तियों पर विशेष तरह के धब्बे राख की तरह मटमैले रंग में दिखाई देते है। इसके प्रभाव से पत्तियां नीचे से ऊपर की ओर सूखने लगती हैं। इसके साथ ही फ्रोंडस (अपुष्प पर्ण) के एक तरफ से या कांटों के नीचे से ऊपर की ओर सूखना शुरू होते है और धीरे-धीरे पूरा सूख जाते हैं। इसके बाद फ्रोंडस की विपरीत दिशा के पंख और कांटे भी सूखना आरंभ हो जाते हैं तथा कुछ समय में लगभग पूरे ही सूख जाते है। पुष्पक्रम के पृष्ठीय पक्ष में भूरे रंग के दाग बनना शुरु होते हैं। जो उग्र अवस्था में फ्रोंडस पर भी आधार से सिरे की तरफ बढ़ता जाता है। अंत में संवहनी बंडलों पर फफूंद लगने से गीले होकर तने पर लटक जाते है। पर्णों के मरने की प्रक्रिया कुछ दिनों से लेकर कई हफतों तक होती है। रोग का विकास मुख्य रूप से रोपण की स्थिति और विविधता पर निर्भर करता है।

आंतरिक लक्षण: जब संक्रमित पेड़ की जड़ों को उखाड़ने पर छोटे-छोटे लाल रंग के धब्बे बने हुए दिखाई देते हैं, जो तने के आधार की ओर बड़े होते जाते हैं। स्वस्थ ऊतकों के अंदर भी इनका रंग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फ्रोंडस को काटने पर भी लाल भूरे रंग के लक्षण दिखाई देते है।

रोगजनक (पैथोजन) : बायोड रोग एक सूक्ष्म कवक के कारण होता है जो मिट्टी की कवकीय वनस्पति (माइकोफ्लोरा) के अंतर्गत आता है। इसका वैज्ञानिक नाम -फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पेशलिस् एल्बेडिनिस (Fusarium o&ysporum forma specialis albedinis) है।

उत्तरजीविता: इस रोग के क्लैमिडोबीजाणु (क्लैमिडोस्पोरस) विशेष रूप से मिट्टी में पड़े संक्रमित मृत ऊतकों में संरक्षित रहते हैं।

खजूर के पेड़ों में बायोड रोग का प्रसार: दूषित जल द्वारा नियमित सिंचाई और दूषित जल मात्रा और बारम्बारता के कारण यह रोग तेजी से बढ़ता है। इसके लक्षण मूल संक्रमित क्षेत्र में प्रकट न होकर दूसरी जगह पर दिखाई देते हैं। इसका संचार मुख्य रूप से संक्रमित ऑफसूट या फंगस को शरण देने वाले खजूर के टुकड़े के द्वारा होता है।

मेजबान पौधे: इस रोग के बीजाणु मुख्य रूप से रिजका, मेंहदी और विभिन्न सब्जी फसलों आदि में पनपते हैं।

बायोड रोग का नियंत्रण एवं प्रबंधन: बायोग रोग के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है।

-प्रशाखाओं और सभी अन्य पौधे सामग्री (खजूर के टुकड़े, खजूर से बनी कोई भी कलाकृतियों, खाद और संक्रमित मिट्टी आदि) या बायोड रोग संक्रमित गैर लक्षणित अल्फला (ल्यूसर्न) और हिना के बीज और असंसाधित उत्पादों को संक्रमित देशों या क्षेत्रों से आयात न करें।

-उन्मूलन तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

-अधिक उपज के लिए सिंचाई और उर्वरक जितने महत्वपूर्ण है, उतने ही ये कवक के विकास के लिए भी हैं। इसलिए मई के गर्म दिनों और अक्टूबर के महीने में सिंचाई कम करें अथवा बिल्कुल भी नहीं करें।

-वर्तमान में कृत्रिम परिवेशीय ऊतक संवर्धन (स्वपात्रे सूक्ष्म संवर्धन) पौधे ही इस रोग से बचाव का एक मात्र सुगम उपाय है। इन पौधों से न केवल बायोड रोग द्वारा नष्ट किये गए खजूर के बागों का पुनर्गठन किया जा सकता है बल्कि, इनसे उच्च गुणवत्ता के फल और प्रतिरोधी किस्में बनाकर खजूर के नये बढ़ते क्षेत्रों को रोगमुक्त भी बनाया जा सकता है।

-मिट्टी को मिथाइल ब्रोमाइड या क्लोरोपिक्रिन से उपचारित करने पर भी इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

लौकी का संकर बीजोत्पादन

दीपक कुमार गौतम, डॉ. जी. सी. यादव, पुष्पेन्द्र कुमार और आनंद मोहन चौधरी
'शोध छात्र एवं' सहायक प्रोफेसर सब्जी विज्ञान विभाग
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद- 224229

खेत का चुनाव: संकर बीज उत्पादन के लिए चुना गया खेत अवांछित पौधों से रहित होना चाहिए। खेत समतल तथा उसमें उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की मिट्टी का पीएच मान 6.5-7.5 के बीच उपयुक्त रहता है। खेत में सिंचाई की समूचित व्यवस्था होनी चाहिए।

ऋतु का चुनाव: लौकी के संकर बीज उत्पादन के लिए ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा खरीफ ऋतु अधिक उपयुक्त होती है। खरीफ ऋतु में, ग्रीष्म की अपेक्षा अधिक बीज उपज मिलती है क्योंकि खरीफ में फलों तथा बीजों का विकास अच्छा, होता है।

बीज का स्रोत: संकर बीज उत्पादन के लिए पैतृक जननों (Parents) का आधारीय बीज (Foundation seed)ही प्रयोग किया जाता है जिसे सम्बकन्धित अनुसंधान संस्था न या कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है।

पृथक्करण दूरी: लौकी एक पर-परागित (cross pollinated) एवं उभयलिंगाश्री (नर व मादा पुष्प का अलग अलग भागों पर आना) फसल है। आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज उत्पादन के लिए, बीज फसल, अन्य किस्मों तथा व्यावसायिक संकर किस्मों के बीच में न्यूनतम 1000 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नर व मादा पैतृकों की बुवाई अलग-अलग खण्डो में न्यूनतम 5 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए।

पुष्प जैविकी : लौकी के फूल सफेद रंग के होते हैं। फूल प्राय: दोपहर बाद 4 से 6 बजे के बीच खिल जाते हैं और रात भर खिले रहकर अगले दिन मुरझा जाते हैं। लौकी में पुष्प खिलने के ठीक पहले (दोपहर 1 से 4 बजे) वर्तिकाग्र अधिकतम ग्राही होता है। पुमंग में परागण मात्र एक दिन तक जीवित रहते हैं। परागण कार्य कीटों जैसे मधुमक्खियों द्वारा सांय या रात में होता है।

खाद एवं उर्वरक: एक हैक्टेयर (10000 वर्ग मीटर) खेत में 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, बुआई से 15-20 दिन पहले मिलाना चाहिए। एन.पी.के. 40:60:60 अनुपात में लगाना चाहिए। फॉस्फोमरस एवं पोटाश के मिश्रण को 500 ग्राम थमला बुवाई के समय लगायें तथा नत्रजन को दो बार में आधा-आधा करके बुवाई के 30-35 दिन बाद तथा 50-55 दिन बाद खड़ी फसल में लगाना चाहिए। अगर फसल कमजोर है या बढ़वार कम है तो 1प्रश. यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए।

बीज की बुवाई: भारत में लौकी के संकर बीज उत्पादन के लिए पैतृकों की बुवाई जुलाई माह के प्रथम सप्ताह या प्रथम पखवाड़े में करना उपयुक्त रहता है। दो बीज प्रति थमला (Hill) बोने चाहिए तथा बुवाई के 15 दिन बाद जब पौधें 2-4 पत्ती के हो जायें तो फालतू पौधों को निकाल दिया जाता है। एक थमले में एक ही पौधा रखा जाता है।

बीज दर व पौधअंतरण:

मादा पैतृक (female parent) के लिए 1.5किग्रा/हैक्टेयर तथा नर पैतृक (male parent) के लिए 0.5किग्रा/हैक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। दो सिंचाई नालियों के बीच की दूरी 3 मीटर तथा पौधे से पौधे के बीच की दूरी 0.5 मीटर होनी चाहिए। बीज को 2-3 इंच गहराई में बोना उपयुक्त रहता है।

बुवाई विधि व नर-मादा पौध अनुपात: मादा एवं नरबीजों की बुवाई अलग अलग खण्डों में एक ही दिन की जाती है। इसलिए कुल क्षेत्र के एक चौथाई भाग (1/4 भाग) को नर पौधों के लिए तथा तीन चौथाई (3/4) भाग को मादा पौधों के लिए चिन्हित कर लें। बीजों को बुवाई के 18-24 घंटे पुर्व उपचारित अवश्य करें। उपचारित करने के लिए 2 ग्राम थीराम या कैप्टा न प्रति किग्रा बीज के हिसाब से कुल बीज की मात्रा के बराबर पानी में घोल बनाकर नर व मादा बीजों को चिन्हित करके भिगो दें। बुवाई से पूर्व बीजों को छाया में फैलाकर सुखा दें।

परागण प्रबंधन: हस्थ परागण, प्राकृतिक परागण से अधिक अच्छा होता है। मादा पैतृक में स्वबनिषेचन को रोकने के लिए पुष्प न से पहले ही नर कलिकाओं को मादा पैतृक पौधों से तोड़कर नष्ट किया जाता है। पुष्पबन होने से पहले मादा व नर पुष्पों को सफेद रंग के बटर पेपर से ढंक दिया जाता है। उष्मीय प्रभाव कम करने के लिए बटर पेपर में 5-6 छोटे छोटे छेद बनाये जाते हैं। मादा पैतृक के पौधों से नर कलियां तोड़ने की प्रक्रिया 40-45 दिनों तक की जाती है तथा साथ साथ नर पैतृक पौधों से अल्प विकसित फलों को तोड़ते रहते हैं। इससे अधिक संख्या में नर फूल मिलते हैं।

परागण कार्य प्रतिदिन 1-3 बजे अपराह्न किया जाता है तथा 3 से 5 फल प्रति पौधा सुनिश्चित करने के लिए 40-45 दिनों की परागण अवधि पर्याप्त रहती है। फलों तथा बीजों के विकास को सुगम बनाने के लिए परागित पुष्पों के अतिरिक्त अन्य बनने वाले पुष्पों को निकाल देना चाहिए ताकि परागित फलों का विकास भली प्रकार हो सकें।

रोगिंग: नर और मादा खण्डों से अवांछित पौधों को चार बार निरीक्षण करके निकालना चाहिए। एक बार पुष्प न से पूर्व दो बार पुष्पन व फल बनने की अवस्था में तथा अंतिम बार फलों के पकने या तुड़ाई के पूर्व जातीय लक्षणों के आधार पर निकालें। अवांछनीय पौधों, विषाणु सुग्राही और रोग ग्रस्त पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। अवांछनीय पौधों की संख्या कभी भी 0.05 प्रश. से अधिक नहीं होनी चाहिए। फलों को तोड़ने के बाद बीज निकालने से पहले अल्प विकसित फलों को भी हटा देना चाहिए।

फलों का पकाना, बीज निकालना तथा सुखाना: फल सामान्यत: परागण के 60-65 दिन बाद तुड़ाई के योग्य हो जाते हैं। इस समय फल हरे रंग से भूसे के रंग के हो जाते हैं। फलों की तुड़ाई 2-3 बार में करना उत्तम रहता है। फलों के अधिक पक कर सूखने से बीज उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बीज निकालने से 7-10 दिन पहले फलों को छायादार सुरक्षित स्थान पर रखकर रखना चाहिए। इसके बाद फलों को हथौड़े अथवा डंडे से तोड़कर हाथ से बीजों को गुदे से अलग करना चाहिए। लोकी का बीज मशीन द्वारा भी निकाला जा सकता है।

बीज उपज: लौकी में हस्त परागण करने से प्रति पौधा 215.5 ग्राम बीज उपज प्राप्त हो सकती है तथा औसत बीज उपज 150 से 200 कि.ग्रा./एकड तक प्राप्त की जा सकती है। 1000 बीजों का भार 157 ग्राम होता है।

लहसुन की मंद कीमतों से किसान परेशान

मुंबई (कासं)। आमतौर पर उपज में गिरावट आने से कीमतों में इजाफा होता है लेकिन लहसुन के मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। उपज में करीब 20 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद किसान कम कीमत पर लहसुन की बिक्री कर रहे हैं। उन्हें सरकारी एजेंसियों के खरीद के कठोर नियमों से शिकायत है। बेंचमार्क नीमच (मध्य प्रदेश) की कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) में औसत गुणवत्ता वाले लहसुन की कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम बोली जा रही है और मॉडल कीमत करीब 25 रुपये है। भारत की संपूर्ण आवक का तकरीबन चौथाई हिस्सा मध्य प्रदेश की पिपलिया मंडी से आता है। यहां लहसुन 13 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। आवक में तेजी और थोक खरीदारों की कमी की वजह से इलाहाबाद में पिछले एक महीने में लहसुन के दामों में लगभग एक-चौथाई गिरावट आ चुकी है। फिलहाल यहां इसके दाम 24 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहे हैं। मसालों के

अलावा लहसुन का उपयोग बहुत-सी आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। इस कारण इसे औषधीय पौधों की श्रेणी में भी रखा जाता है। लहसुन के जयपुर स्थित व्यापारी वंश एग्रो प्रोडक्ट्स के निदेशक राम प्रसाद चौधरी ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 10-12 रुपये प्रति किलोग्राम की मौजूदा कीमत किसानों के लिए चौंकाने वाली है। कमाई से ज्यादा उनकी लागत है। जटिल भुगतान प्रक्रिया की वजह से तीन-चार महीनों की देरी होने के कारण किसान सरकारी एजेंसियों के पास नहीं जा रहे हैं। बड़े व्यापारी और स्टॉकिस्ट जैसे निजी भागीदार तुरंत भुगतान कर देते हैं और इस कारण किसान उन्हें आपूर्ति करने को तरजीह देते हैं। इसके अलावा खरीद से पहले सरकारी एजेंसियां विक्रेताओं से आधार संख्या और जमीन के कागजात भी मांगती हैं। गारलिक मर्चेंट्स एसोसिएशन के महासचिव महिंद्र सिंह का कहना है कि निजी व्यापारी ऐसा नहीं करते हैं और वे तुरंत भुगतान कर देते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान में 2016-17 (जुलाई से जून) के लिए 12.7 लाख टन उपज का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल यह 16.2 लाख टन था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने मात्र दो प्रतिशत की गिरावट के साथ बुआई 2,74,000 हेक्टर रहने की जानकारी दी है, जबकि एक साल पहले यह 2,81,000 हेक्टर थी। उपज में प्रति हेक्टर पांच टन की गिरावट का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल यह गिरावट प्रति हेक्टर छह टन थी।

किसानों को सस्ते दाम पर मिलेंगे हाईब्रिड बीज

लखनऊ (विसं)। खरीफ सीजन में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली, तिल और सोयाबीन जैसी फसलों की बुवाई करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। इन फसलों के संकर बीजों के दामों में 10 प्रतिशत की कमी कर दी गई। इसके अलावा किसानों को बड़ी मात्रा में सरकार की तरफ से सब्सिडी पर बीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बीज कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई थी जिसके बाद कंपनियों ने स्वैच्छिक आधार पर 10 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि हमने बीज उद्योग से किसानों के हित में संकर बीजों के दाम कम करने को कहा था। वह इस पर सहमत हो गए हैं। अगर कोई निजी दुकानदार या बीज विक्रेता किसानों को इस रेट पर संकर बीज नहीं देता है तो किसान संबंधित जिले के जिला कृषि अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान सेवा केन्द्र, साधन सहकारी समितियों के

अलावा खुदरा और थोक में निजी बीज दुकानों से किसान बीज खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश में बीज के व्यापार पर निजी कंपनियों का कब्जा है। संकर बीजों के मामले में तो उनका एकाधिकार है। संकर बीज के कुल व्यापार पर 80 प्रतिशत से ज्यादा निजी कंपनियों का कब्जा है। ये कंपनियां संकर बीज के नाम पर बीजों की कीमत किसानों से बहुत ज्यादा वसूलती हैं लेकिन राज्य के पास किसानों की मांग पूरी करने के लिए उतना बीज उपलब्ध नहीं है। सरकारी एजेंसी हर साल किसानों की लगभग 30 प्रतिशत बीज की मांग पूरी कर पाती है। 70 प्रतिशत किसान निजी बीज कंपनियों पर निर्भर रहते हैं। लिहाजा किसानों को निजी बीज कंपनियों से बीज खरीदने की मजबूरी होती है। कृषि विभाग का दावा है कि प्रदेश में हर जिले में बिक्री केन्द्र पर उत्तम के बीज बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रदेशभर में 28,264 दुकानदारों और 700 कंपनियों को बीज बेचने का लाइसेंस दिया गया है।

वैज्ञानिकों ने विकसित की मूंगफली की नई किस्म

कानपुर (विसं)। चंद्र शेखर आजाद कृषि तकनीक विश्वविद्यालय (सीएसए) के कृषि वैज्ञानिकों ने मूंगफली की एक ऐसी नई किस्म विकसित की है जिसे गर्मियों में भी उगाया जा सकता है। यहां संस्थान यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। सीएसए के वैज्ञानिक जितेन्द्र सिंह ने यहां कहा, गर्मियों में मटर, आलू और सरसों की फसल कटने के बाद मूंगफली की नई किस्म की बुवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि गर्मियों के दौरान बोई जाने वाली मूंगफली की फसल की तीन महीने के बाद कटाई की जा सकती है। इसे मार्च में बोया जा सकता है और जून में यह तैयार हो जाएगी।

इसके अलावा गर्मियों में पैदा की जाने वाली मूंगफली रोग रहित होगी क्योंकि वातावरण में अत्यधिक गर्मी रहने के कारण कीट इस पर हमला नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा, अब लोगों को सर्दी के मौसम में पैदा होने वाले मूंगफलियों को बचा कर रखने की जरुरत नहीं होगी। अब वे गर्मियों के दौरान भी ताजी मूंगफली का स्वाद ले सकेंगे।

सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आलू की पैदावार करने वाले क्षेत्र के रुप में जाने वाले कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद और कौशाम्बी इलाकों में इस मूंगफली की खेती की जा सकती है। इसके अलावा इसे देश के अन्य क्षेत्रों में भी उगाया जा सकेगा। सिंह ने दावा किया कि 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर निवेश करके एक व्यक्ति 75,000 रुपये तक कमा सकता है।

'खेती पर टिका है देश का विकास'

सिरसा (विसं)। किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त भाव मिले ताकि वह कर्ज लेने का विचार ही न करे। यह बात पूर्व सांसद चौ. रणजीत सिंह ने ऐलनाबाद की अग्रसेन धर्मशाला में किसानों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने और किसानों की आमदन को दोगुना करने जैसे लोभ देकर वोट हासिल कर लिया लेकिन इनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। यही कारण है कि आज देशभर में किसान परेशान होकर आंदोलन की राह पर खड़ा है।

यह सरकार निरंतर किसान विरोधी नीतियां लागू कर रही है और लाचार किसान के पास विरोध प्रदर्शन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस ने किसानों के इस संघर्ष में उनके साथ मजबूती से खड़े होने का फैसला किया है। किसानों की सभी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और किसानों को उनका हक दिया जाए।

सोयाबीन की बुआई में आई कमी

मुंबई (कासं)। खरीफ सत्र की बुआई शुरू हो चुकी है, लेकिन सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट का असर इसकी बुआई पर पड़ता दिख रहा है। अब तक सोयाबीन की बुआई पिछले चार साल में सबसे कम हुई है जबकि पिछले साल की अपेक्षा 55 फीसदी कम बुआई हुई है। महाराष्ट्र में बुवाई करीब 83 फीसदी कम है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 15 जून तक कुल 0.453 लाख हेक्टेयर सोयाबीन की बुआई हुई है जबकि पिछले साल इस समय तक 1.007 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बुआई की रफ्तार धीमी है। मध्य प्रदेश में तो अभी बुआई शुरू भी नहीं हुई है जबकि महाराष्ट्र में 0.007 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है जो पिछले साल के मुकाबले करीब 83 फीसदी कम है। पिछले साल राज्य में इस समय तक 0.041 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई थी। फसल बुआई कम होने की वजह किसानों की हड़ताल मानी जा रही है, लेकिन आंकड़ों में यह तर्क खरा नहीं उतरता है क्योंकि दूसरी फसलों की बुआई पिछले साल के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन तिलहन फसलों की बुआई कम हुई है। महाराष्ट्र कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 16 जून तक 0.155 लाख हेक्टेयर तिलहन फसलों की बुआई हुई जबकि पिछले साल इस समय तक 0.400 लाख हेक्टेयर बुआई हुई थी। तिलहन फसलों में सबसे ज्यादा कमी और बदलाव सोयाबीन में देखने को मिल रहा है। सोयाबीन की कम बुवाई पर कृषि मामलों के जानकारों का कहना है इस साल सोयाबीन की कीमतें कम रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम पर किसानों को अपना माल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था जिसके कारण इस पर किसान सोयाबीन को छोड़कर दूसरी फसलों को तवज्जो दे रहे हैं।

मूंग फसल का सर्वे शुरू किया

बल्लभगढ़ (विसं)। कृषि विभाग दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दे रहा है। 332 किसानों को 12 लाख 64 हजार 320 रुपये का अनुदान दिया है। इससे किसानों की मूंग की खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने सर्वे शुरू कर दिया है, ताकि फसल का सही रिकार्ड तैयार किया जा सके। कृषि विभाग के सर्वे के अनुसार पिछले कुछ सालों से दलहन की खेती काफी कम हुई है और दालों की कीमत भी आसमान छू रही है। दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों को अनुदान दे रहा है, ताकि किसानों की दलहन की खेती के प्रति रुचि बढ़ाई जा सके। किसान बाजार से बीज खरीदकर मूंग की बिजाई करते हैं।

हाइड्रोपोनिक्स विधि से बिना मिट्टी के खेती कर सकेंगे किसान

लखनऊ (विसं)। देशभर में आवासीय इलाकों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे खेती की जमीन कम हो रही है। इससे भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन पर असर पड़ सकता है। हालांकि, बदलते दौर में पैदा होने वाली नयी चुनौतियों से निबटने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोधकार्यों में जुटे रहते हैं। लेकिन फिर भी जब हम कृषि के बारे में सोचते हैं तो उसके साथ उपजाऊ भूमि यानी खेतों की तसवीर भी उभरती है। लेकिन यदि कहा जाये कि बिना मिट्टी के भी फल-सब्जियां पैदा हो सकती हैं, तो सुन कर थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ऐसा संभव है। इजराइल, जापान, चीन और अमेरिका आदि देशों के बाद अब भारत में भी यह तकनीक दस्तक दे चुकी है। इसकी सफलता को देखते हुए इंडोनेशिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, कोरिया जैसे देशों से इस तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है। किसान इस तकनीक से खीरा, टमाटर, पालक, गोभी, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां उगा सकते हैं।

बिना मिट्टी के खेती: इस तकनीक को स्वॉयिललेस कल्टीवेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे

'हाइड्रोपोनिक्स' यानी जलकृषि नाम दिया है। इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, इसे केवल पानी में या लकड़ी का बुरादा, बालू अथवा कंकड़ों को पानी में डाली जाता है। उसके बाद अन्य इंतजाम करने होते हैं। सामान्यतया पेड़-पौधे अपने आवश्यक पोषक तत्व जमीन से लेते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पौधों के लिये आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिये पौधों में एक विशेष प्रकार का घोल डाला जाता है। इस घोल में पौधों की बढ़वार के लिये आवश्यक खनिज एवं पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। पानी, कंकड़ों या बालू आदि में उगाए जाने वाले पौधों में इस घोल की महीने में दो-एक बार केवल कुछ बूँदें ही डाली जाती हैं। इस घोल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक और आयरन आदि तत्वों को एक खास अनुपात में मिलाया जाता है, ताकि पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहें। इसमें पौधों के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्वों का घोल पानी में मिला दिया जाता है। पोषक तत्वों व ऑक्सीजन को पौधे की जड़ों तक पहुंचाने के लिए एक पतली नली या पंपिंग मशीन का प्रयोग होता है।

परंपरागत तकनीक से पौधे और फसलें उगाने की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के कई लाभ हैं। इस तकनीक से विपरीत जलवायु परिस्थितियों में उन क्षेत्रों में भी पौधे उगाए जा सकते हैं, जहाँ जमीन की कमी है अथवा वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है।

कीटनाशक कंपनियों के मुनाफे पर पड़ सकता है असर

मुंबई (कासं)। अगली कुछ तिमाहियों के दौरान कृषि संबंधी सामान बेचने वाली कंपनियों के मुनाफे पर 1-2 प्रतिशत का असर पड़ सकता है। कृषि में काम आने वाले बीज और कीटनाशक दवाओं जैसी प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में कटौती की अपनी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें यह दबाव झेलना पड़ सकता है।

हाल ही में कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक में बीज और कीटनाशक दवाओं की उत्पादक कंपनियों ने इन वस्तुओं के दामों में कटौती करने पर सहमति जताई थी। जहां एक ओर बीज कंपनियों ने 10 प्रतिशत की छूट देकर सरकार की सहायतार्थ कार्य किया है, वहीं कीटनाशक दवा कंपनियां हाल ही में की गई कीमत वृद्धि को वापस लेने के लिए तैयार हो गई हैं।

इसका अर्थ यह है कि उन्हें कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली कीटनाशक दवाओं के एक वर्ग के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 15 प्रतिशत की कमी करनी होगी। इसके अलावा, ताल्लुका और ग्राम स्तर पर अधिकांश खुदरा विक्रेताओं को उत्पाद शुल्क व्यवस्था से निकलकर वस्तु एवं सेवा (जीएसटी) पद्धति में स्थानांतरित होने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा उत्पाद शुल्क से जीएसटी व्यवस्था में परिवर्तन करके सुचारु रूप से काम करने में कुछ समय लगेगा। इसलिए इस दौरान कीटनाशकों की बिक्री पर असर पड़ेगा। धानुका एग्रीटेक लि. के प्रबंध निदेशक एमडी धानुका ने कहा कि कीटनाशक उद्योग उधार पर बिक्री की भी पेशकश करता है। इसलिए जीएसटी व्यवस्था शुरू होने से इन कंपनियों को खुदरा विक्रेताओं के नुकसान का कुछ मुआवजा देने की जरूरत होगी। कुछ माल भी लौटाया जा सकता है।

इन सब से जीएसटी व्यवस्था के शुरुआती दौर में कृषि संबंधी सामान वाली कंपनियों के मुनाफे पर 1-2 प्रतिशत तक का असर पड़ सकता है। इस बीच, अधिकतर बीज कंपनियां पहले ही अपने उत्पाद वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को भेज चुकी हैं क्योंकि मॉनसून से पहले ही खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। हालांकि इस मॉनसून के दौरान भारतीय मौसम विभाग के सामान्य बारिश के पूर्वानुमान ने इस साल खरीफ की जोरदार उपज की आशा जगाई है, वहीं कृषि के सामान वाली कंपनियां अपनी बढ़िया बिक्री के लिए उम्मीद लगाए हुए हैं। धानुका ने कहा कि जुलाई का पहला पखवाड़ा इस साल खरीफ की उपज की दशा निर्धारित कर देगा। उधर सरकार ने बीज कंपनियों से सभी संकर बीजों (बीटी कपास के अलावा) के दाम 10 प्रतिशत तक कम करने के लिए कहा है। यह कटौती 19 जून से प्रभावी हो गई। इस कदम का उद्देश्य उन किसानों को राहत पहुंचाना है जिनका मुनाफा ऊंची उत्पादन लागत की वजह से कम हो रहा है और जोरदार उपज के कारण कमाई मंद हो चुकी है।

कीटनाशक की बढ़ी कीमतें वापस

मुंबई (कासं)। सरकार के दबाव के बाद कीटनाशक निर्माता अपने उत्पादों की कीमतों में की गई बढ़ोतरी वापस लेने को तैयार हो गए हैं। करीब दो सप्ताह पहले एक दर्जन से अधिक उत्पादों की कीमतों में 5 से 10 फीसदी का इजाफा किया गया था। उच्च मांग वाले मौसम के ऐन पहले जून के आरंभ में कीटनाशक निर्माताओं ने अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी थी। कृषि मंत्रालय को यह नागवार गुजरा क्योंकि उनके कच्चे माल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ था। इसका अर्थ यह हुआ कि कीटनाशक निर्माताओं ने यह इजाफा मनमाने ढंग से किया था क्योंकि उन्हें खरीफ सत्र में मांग में इजाफा होने का अंदाजा हो गया था। सामान्य तौर पर कीटनाशक निर्माता बुआई के पहले अधिकतम खुदरा कीमत बढ़ा देते हैं। परंतु केंद्रीय कृषि मंत्री ने इन निर्माताओं की एक बैठक बुलाकर उनसे इस मनमानी मूल्य वृद्धि पर स्पष्टीकरण मांगा। पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर्स ऐंड फॉर्मुलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप दवे ने कहा, हम मंत्रालय के अधिकारियों से मिले और अपनी स्थिति स्पष्ट की। उद्योग ने हाल ही में 12 से अधिक उत्पादों की कीमतें बढ़ाई थीं और अब उसने मंत्रालय को आश्वस्त किया है कि यह बढ़ोतरी वापस ली जाएगी। दवे ने स्पष्ट किया कि तकनीकी श्रेणी के उत्पादों की कीमत में 5-10 फीसदी का इजाफा चीन के कृषि मौसम और बढ़ती मांग को देखते हुए किया गया। वहीं दो तीन संयंत्रों के विस्तार की प्रक्रिया के चलते उपलब्धता पर भी असर पड़ा और समस्या गहरा गई। उक्त उत्पादों को बनाने में तकनीकी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और अधिकतम खुदरा मूल्य में इस बढ़ोतरी के समायोजन की क्षमता है। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों के दाम नहीं बढ़े हैं। यह आयातकों द्वारा की गई गलतबयानी है जिसके बारे में हमने मंत्रालय को बता दिया। कृषि मंत्रालय को दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि भारतीय कीटनाशक उद्योग सबसे कम कीमतों पर किसानों की फसल को सुरक्षा मुहैया करा रही है। घरेलू कीटनाशक निर्माताओं ने इस पूरे विवाद के लिए आयातक लॉबी को जिम्मेदार बताया है।

इस बीच कीटनाशक निर्माताओं ने सरकार से कहा है कि कृषि क्षेत्र की जरूरत को देखते हुए कीटनाशकों पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी जाए। कीटनाशक उत्पादों की कीमत में कमी तभी बरकरार रह पाएगी जबकि जीएसटी को 5 फीसदी के न्यूनतम स्तर पर रखा जाए। इतना ही नहीं जेनेरिक कीटनाशकों की कीमत में किसी भी तरह की कमी के लिए किसी भी तरह की परिचालन लागत या कच्चे माल की लागत में कमी नहीं आई है। बिजली के दाम बढ़े हैं और तेल की कीमतें भी। मूल्य वृद्धि उचित है क्योंकि कराधान में कोई राहत नहीं है और कच्चे माल की लागत बढ़ रही है।

UDIT OVERSEAS PVT. LTD.

N.P.K. 100%WATER SOLUBLE FERTILIZER

- 19.19.19.
- 13.0.45(POTASSIUM NITRATE)
- 12.61.00 (MAP)
- 0.50.34 (MKP)
- 0.0.50 (SOP)
- CALCIUM NITRATE
- SRUSHTI HIZINC (MICRONUTRIENT MIXTURE)
- ZINC EDTA 12%
- ZINC SULPHATE 33%
- FERROUS EDTA 12%
- ZINC 21%
- FERROUS 19%
- MAGNESIUM
- BOORON 20%
- COPPER SULPHATE 24%
- SULPHUR 90% WG

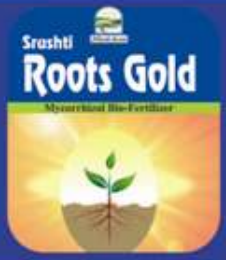

BIO FERTILIZERS

- MYCORRHIZA (ROOTS GOLD)
- AZOTOBACTOR
- RHIZOBIUM
- AZOSPIRILLUM
- PHOSPHATIC SOLUBILISING BACTERIA (PHOS UP)
- POTTASIUM MOBILIZING (POTA RISE)

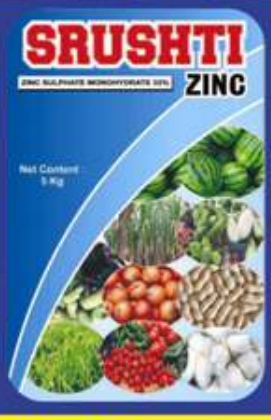

WELCOME INQUIRY Contact : 7728897567

137, Industrial Area Dehra, Tehsil Chomu, Dist, Jaipur

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - सुरेश जी. शर्मा की ओर से सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, शर्मा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-63 से मुद्रित किया और 307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड मालाड (प), मुंबई-400064 यहां से प्रकाशित किया। सम्पादक : सुरेश जी. शर्मा, Contace Detail : Tel. 022-66998360/61, Fax : 022-66450908
E-mail : info@srushtiagronews.com, website : www.srushtiagronews.com RNI No. MAHHIN/2013/49425

टमाटर की खेती करने की उन्नत तकनीक

मंजू वर्मा एवं सुनीता वर्मा
श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (राजस्थान)

टमाटर एक लोकप्रिय सब्जी है । इस फसल को सम्पूर्ण भारतवर्ष में सफलतापूर्वक उगाया जाता है । टमाटर में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम, आयरन तथा अन्य खनिज लवण प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहते है । इसके फल में लाइकोपीन नामक वर्णक (पिगमेंट) पाया जाता है । जिसे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट बताया गया है । इन सबके अलावा कैरोटिनायडस एवं विटामिन सी भी टमाटर में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ताजे फल के अतिरिक्त टमाटर को परिरक्षित करके चटनी, जूस, अचार, सास, केचप, प्यूरी इत्यादि के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसके पके फलों की डिब्बाबन्दी भी की जाती है। भारतवर्ष से टमाटर का निर्यात मुख्या रूप से पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल, सउदी अरब, ओमान, मालद्विप, बहरीन एवं मलावी को किया जाता है ।

जलवायु: टमाटर की अच्छी उपज में तापमान का बहुत बड़ा योगदान होता है। फसल के लिए आदर्श तापमान 20-250 सेन्टीग्रेट होता है । तापमान अधिक होने पर फूल एवं अपरिपक्व फल टूटकर गिरने लगते हैं । जब तापक्रम 130 से कम एवं 350 से ज्यादा होता है, तब परागकण का अंकुरण बहुत कम हो जाता है बाजार में माग कम होने पर टमाटर को कुछ दिनों तक भण्डारित किया जा सकता है जैसे- अपरिपक्व हरे फल को 12.50 सेन्टीग्रेट तापमान पर 30 दिनों तक जबकि परिपक्व फल को 4- 50 सेन्टीग्रेट तापमान पर 10 दिनों तक रखा जा सकता है। उपरोक्त भण्डारण के समय सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 85-90 प्रतिशत होनी चाहिए । परिणामस्वरूप फल कम लगते है साथ ही फलों का स्वरुप भी बिगण जाता है।

खेत की तैयारी: समुचित जल निकास वाली जीवाष्म युक्त बलुई दोमट या दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6.0-7.0 बीच हो, ऐसे खेत में टमाटर की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है । तैयार पौध की रोपाई से पहले, खेत की पहली गहरी जुताई मिट्टी पलट हल से करें, तपश्चात 3 से 4 आड़ी-तिरछी जुताई कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरी व समतल बना लेना चाहिए ।

उन्नत प्रभेद

स्वर्णा नवीन: इस प्रभेद की बुवाई जुलाई से सितम्बर एवं अप्रैल से मई माह में की जा सकती है, जिसकी उपज क्षमता 600-650 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है। यह प्रभेद जीवाणु जनिक उकठा रोग के प्रति सहनशील है ।

स्वर्णा लालीमा: इस प्रभेद की बुवाई जुलाई से सितम्बर एवं फरवरी से अप्रैल माह में की जा सकती है, जिसकी उपज क्षमता 600-700 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है। यह प्रभेद जीवाणु जनिक उकठा रोग के प्रति सहनशील है ।

काशी अमन: इस प्रभेद की उपज क्षमता 500 - 600 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है। यह प्रभेद विषाणु जनिक पर्ण कुंचन रोग के प्रति सहनशील है ।

काशी विशेष: इस प्रभेद की उपज क्षमता 450 - 600 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। यह प्रभेद विषाणु जनिक पर्ण कुंचन रोग के प्रति सहनशील है ।

संकर प्रभेद

स्वर्णा वैभव (एफ1) : इस प्रभेद की बुवाई सितम्बर से अक्टूबर माह में की जा सकती है, जिसकी उपज क्षमता 900-1000 कुंतल प्रति हेक्टेयर है ।

स्वर्णा सम्पदा (एफ1): इस प्रभेद की बुवाई अगस्त से सितम्बर एवं फरवरी से मई माह में की जा सकती है, जिसकी उपज क्षमता 1000-1500 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। यह प्रभेद जीवाणु जनिक उकठा रोग के प्रति सहनशील है ।

काशी अभिमान: यह दूरस्थ विपणन के लिए उपयुक्त संकर प्रभेद है। इसकी उपज क्षमता 750- 800 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। यह प्रभेद विषाणु जनिक पर्ण कुंचन रोग के प्रति सहनशील है ।

खाद एवं उर्वरक: खाद एवं उर्वरक की मात्र का निर्धारण हमेशा मिट्टी जांच के आधार पर करना हितकर होता है। सामान्य तौर पर 200- 250 कुन्तल सडी हुई गोबर या कम्पोस्ट खाद के साथ 100 - 150 कि. ग्रा. नत्रजन, 60-80कि. ग्रा. स्फुर एवं 50 - 60 कि. ग्रा. पोटाश का व्यवहार करना चाहिए । नत्रजन की एक तिहाई तथा स्फुर व पोटाश की पूरी मात्रा रोपाई से पूर्व व्यवहार करें। नत्रजन की शेष मात्रा को दो बराबर भागों में बांट कर 25-30 दिनों एवं 45 - 50 दिनों बाद खड़ी फसल में टाप ड्रेसिंग के रूप में व्यवहार करें ।

बीज की मात्रा: एक हेक्टेयर खेत की रोपाई के संकुल एवं संकर किस्मों की क्रमश: 350 - 400 ग्राम एवं 200-250 ग्राम स्वस्थ बीज की आवश्यकता पड़ती है ।

टमाटर बीज की बुआई का समय: वैसे तो टमाटर की खेती पूरे वर्ष भर की जा सकती है । शरदकालीन फसल के लिए जुलाई से सितम्बर, बसंत या ग्रीष्मकालीन फसल के लिए नवम्बर से दिसम्बर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से अप्रैल महीनों में बीज की बुआई फायदेमंद होता है ।

टमाटर पौध की तैयारी: पौध की तैयारी के लिए जीवांशयुक्त बलुवर दोमट मिट्टी की जरुरत होती है। स्वस्थ एवं मजबूत पौध तैयार करने के लिए 10 ग्राम डाईअमोनियमफास्फेट और 1.5 - 2.0 कि.ग्रा. सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यवहार करना चाहिए। क्यारियों की लंबाई लगभग 3.0 मीटर, चौड़ाई लगभग 1.0 तथा भूमि की सतह से उचाई कम से कम 25-30 सें.मी. रखना उचित होता होता है। इस प्रकार की ऊची क्यारियों में बीज की बुआई पंक्तियों में करना चाहिए, जिनकी आपसी दूरी 5.0-6.0 से.मी. रखना चाहिए, जबकि पौध से पौध की दूरी 2.0-3.0 से.मी. रखना चाहिए। बुआई के बाद क्यारियों को सड़ी हुई गोबर की खाद या कम्पोस्ट से ढक दें । इसके बाद फुहारे से हल्की सिचाई करें। अब इन क्यारियों को घास-फूस या सरकंडे के आवरण से डाक दें । आवश्यकतानुसार हल्की सिचाई करते रहें । बुआई के 20-25 दिनों बाद पौध रोपाई योग्य तैयार हो जाती है।

टमाटर पौध की रोपाई: जब पौध में 4-6 पत्तियां आ जाये तथा ऊचाई लगभग 20-25 से.मी. हो जाये तब पौध रोपाई के लिए तैयार समझना चाहिए । रोपाई के 3-4 दिनों पूर्व पौधशाला की सिंचाई बन्द कर देनी चाहिए । जाड़ें के मौसम पौध को पाला से बचने के लिए क्यारियों को पालीथीन चादर की टनेल बनाकर ऊपर से ढंक देना चाहिए । पंक्ति से पंक्ति एवं पौध से पौध की दूरी फसल की किस्म, भूमि की उर्वरता, रोपाई के मौसम एवं क्षेत्र विशेष को ध्यान में रख कर करना हितकर होता है।

सिचाई: पौध रोपण के तुरंत बाद एवं प्रारम्भ के 3-4 दिनों तक पौधों को हजारे से पानी देना चाहिए, तत्पश्चात क्यारी या नाली जो भी हो उसमे पानी देना चाहिए। अच्छा होता है यदि मेड एवं नाली बना कर पौध लगाया जाय। क्योंकि इस विधी में सिचाई जल एवं स्थान का भरपूर उपयोग होता है। शरदकालीन फसलों में 10-15 दिनों के अंतराल पर जबकि ग्रीष्मकालीन फसलों को 6-8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकतानुसार सिंचाई करना चाहिए । फसल में अधिक पानी लगाने से पौधों में उकठा एवं विषाणु जनित पत्ती सिकुडन रोग की संभावना बढ जाती है ।

टमाटर में खरपतवार प्रबंधन: खेतों में उगने वाले खरपतवारों को समय रहते खुर्पी या कुदाल से गुडाई करके निकाल लेना हितकर होता है। अन्यथा खरपतवारों की तेज वृद्धि से फसल के अधिकतम नुकसान की संभावना बनी रहती है। जिन क्षेत्रों में दीमक की समस्या नही हो । ऐसे क्षेत्रों में सूखे घास-फूस की पलवार (मल्च) पौधों के नीचे बिछाने से भी खरपतवार कम उगते है । वैसे पलवार के लिए हम 30 माइक्रोन मोटी कण घनत्व वाली पालीथिन (LDPE) की चादर का भी उपयोग करके खरपतवार के जमाव को कम कर सकते है ।

टमाटर में अंत: सस्य क्रियायें: फसल से अच्छी पैदावार लें के लिए पौधों के आस-पास हल्की निकाई-गुड़ाई करें एवं पौधों के जड़ के पास मिट्टी अवस्य चढा दें, जिससे पौधों के बढवार पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। असीमित बढ़वार वाली प्रभेदों के पौधों को लकड़ी गाढ़ कर सहारा देने से भी उपज पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, साथ ही फल का मिट्टी से संपर्क न होने से विभिन्न रोगों का प्रभाव स्वत: कम हो जाता है ।

टमाटर में समेकित नाशीजीव प्रबंधन: टमाटर की फसल में खरपतवारों के अतिरिक्त ढेर सारे नाशीजीवों जैसे- कवक, जीवाणु, विषाणु, सूत्रकृमी एवं विभिन्न प्रकार हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। सभी हानिकारक नाशीजीव फसल प्रभेदों के उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है। अत: फसल अवस्था अनुरूप इनका प्रबंधन इस प्रकार है-

टमाटर बुवाई से पहले

-अधिक जल जमाव एवं खराब जल निकास व्यवस्था वाली खेतों का चुनाव टमाटर की खेती के लिए नही करें ।

-खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। साथ ही 15 से.मी. ऊँचा बेड बनाना सुनिश्चित करें।

-खेत में 100 किलोग्राम प्रतिएकड़ की दर से नीम की खली का व्यवहार करें ।

-बेड को 0.45 मि.मी. मोटी पॉलीथिन की चादर से ढककर तीन सप्ताह के लिए छोड़ दें ।

-पर्यावर्णीय अभियंत्रण के अंतर्गत खेत के चारों तरफ एवं प्रत्येक 10 लाइन मुख्य फसल के बाद एक लाइन गेंदा की रोपाई करे, ध्यान रखे कि मुख्य फसल की रोपाई के कम से कम 15 दिनों पहले गेंदा की रोपाई सुनिश्चित कर लें। जिससे फल छेदक कीट की मादा मुख्य **(शेष पेज 7 पर)**

पेज 6 का शेष ...टमाटर की खेती...

फसल को छोड़कर गेंदा के पौधों पर अपना अंडा रखेगी। फलस्वरूप टमाटर में होने वाली क्षति कम होगी।

टमाटर बुवाई के समय

-प्रतिरोधक एवं सहनशील प्रभेदों का चुनाव करे।

-बीज का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि जिन पौधों से बीज लिया गया हो वह पौधा रोग ग्रसित न हो ।

-ट्राईकोडर्मा 9.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से टमाटर के बीज को उपचारित करें ।

-फसक चक्र जैसे- लोविया-मक्का-पत्तागोभी, भिन्डी-लोविया-मक्का, मक्का-लोविया-बैगन इत्यादि अपनाना चाहिए।

-फसल चक्र में गेहूँ, सरसों, सूर्यमुखी, अलसी इत्यादि फसलों का भी समावेश किया जा सकता है ।

-अन्त:वर्ती फसल के रूप में प्याज, मक्का, लोविया, धनिया, उरद या मूंग, कद्दू वर्गीय, धान्य, गोभीवर्गीय फसले अधिक लाभकारी होती है ।

वानस्पतिक वृद्धि

-खेत को खरपतवार से मुक्त रखें, जिसके लिए रोपाई के क्रमश: 15 एवं 30 दिनों बाद एक-एक निकाई एवं गुड़ाई अवश्य सुनिश्चित करें ।

-आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करें। ध्यान इस बात का रखे कि जल जमाव की स्थिति न बने ।

-खेतों की निगरानी निश्चित अंतराल पर करते रहे तथा रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर मिट्टी में दबा दें। यदि कोई असमान्य पौधा दिखे तो विशेषज्ञ (जिला के कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला एवं प्रखंड स्तरीय कृषि पदाधिकारी या इनके प्रतिनिधि) से परामर्श अवश्य ले ।

-सफेद मक्खी के प्रकोप को कम करने के पीला चिपचिपा ट्रैप या कार्ड 10 प्रति एकड़ की दर से लगाना चाहिए ।

-5 प्रतिशत नीम के बीज का सत का छिड़काव करें, जिससे पौधों के सतह रहने वाले कीटो एवं रोग कारको की क्रियाशीलता में कमी आयेगी ।

-अगेती एवं पछेती झुलसा व्याधि के प्रबंधन के लिए ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें साथ ही साथ मेन्कोजेब 75 डब्लू.पी./600-800 ग्रा. या फमोक्साडोन 16.6 एस.सी/ + सायमोक्सानिल 22.1 एस.सी./200 ग्रा. या कापर ऑक्सीक्लोराइड 50 डब्लू.पी./1000 ग्रा. को 150-200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए ।

-टमाटर के पत्ती कुंचन (पत्ती सिकुड़न) रोग के प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम रोग ग्रसित पौधों को जड़ से उखाडकर मिट्टी में दबा दे। तत्पश्चात डाइमेथोएट 30 इ.सी./400 मि.ली. या इमिडाक्लोप्रीड 17.8 एस.एल. / 60-70 मि.ली. या थियामेंथोक्जाम 25 डब्लू.जी./ 80 ग्रा. को 150-200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव सुनिश्चित करें ।

-कीटों की निगरानी के लिए 4-5 प्रति एकड़ की दर से फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं । ध्यान इस बात का देना है कि प्रत्येक 2 से 3 सप्ताह बाद फेरोमोन ट्रैप का ल्योर बदलना होता है ।

-फसलीय पर्यावरण में नाशीजीवों के प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बर्ड पर्चर / 20 प्रति एकड़ की दर से लगाया जा सकता है । साथ ही साथ अंडपरजीवी ट्राईकोग्रामा स्पेसीज/ 20,000 अंडा प्रति एकड़ प्रति सप्ताह की दर से कम से कम 4 बार खेत में छोड़ना

चाहिए ।

-यदि फसल की निगरानी के समय, यह अनुभव हो कि अमूक कीट या रोग कारक जीव अपने आर्थिक क्षति पर पहुँचाने वाला है साथ ही इनके प्राकृतिक शत्रुओं की क्रियाशीलता सामान्य से कम हो, तो विशेषज्ञ (कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला एवं प्रखंड स्तरीय कृषि पदाधिकारी या इनके प्रतिनिधि) से परामर्श लेकर इन नाशीजीवों की संख्या कम करने के लिए रसायनों का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सकता है ।

पुष्पन एवं फलन

-फसल की इस अवस्था में शेष बचे हुए खरपतवारों को हाथ से निकोनी करके निकाल लेना चाहिए क्योंकि इस समय के बचे हुए खरपतवार से उत्पन्न बीज आने वाली फसल के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है ।

-फल को मिट्टी के सम्पर्क में आने से बचने के लिए पौधों को चारो तरफ से सहारा देने की आवश्यकता होती है, जिससे फल सडन की समस्या कम होती है ।

-फली छेदक कीट के प्रबंधन के लिए एच.ए. एन.पी.वी. 0.43 ए.एस. / 600 मि.ली. या बैसिलस थुरिनजिएन्सिस/400-500 ग्रा. की दर 150 - 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिडकाव किया जा सकता है ।

-फल छेदक कीट कीट की संख्या यदि आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंचाने की संभावना हो तो इनडोक्साकार्ब 14.5 एस.सी. / 160 - 200 मि.ली. या फ्लूबेन्डामाइड 20 डब्लू.जी./40 ग्रा. या नुवाल्यूरोन 10 ई.सी./300 मि.ली. या क्लोरेनट्रानिलिप्रोले 18.5 एस.सी./ 60 मि.ली. को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिडकाव करें ।

फलों की तुड़ाई: टमाटर के फलों की तुड़ाई उसके उपयोग पर निर्भर करती है। यदि आस-पास के बाजार में बेचना हो तो फल पकने के बाद तुड़ाई करें।

उपज एवं भण्डारण: फसल की उपज, प्रभेद, बुवाई की विधि एवं समय, खाद एवं उर्वरक की मात्रा, मौसम, फसल प्रबन्धन आदि पर निर्भर करती है । टमाटर की औसत उपज 300-350 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। अच्छी उत्पादन तकनीकी एवं उन्नत प्रभेद अपनाने से 800-1000 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं । बाजार में माग कम होने पर टमाटर को कुछ दिनों तक भण्डारित भी किया जा सकता है जैसे- अपरिपक्व हरे फल को 12.50 सेन्टीग्रेट तापमान पर 30 दिनों तक जबकि परिपक्व फल को 4-50 सेन्टीग्रेट तापमान पर 10 दिनों तक रखा जा सकता है । उपरोक्त भण्डारण के समय सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 85 - 90 प्रतिशत होनी चाहिए ।

एक बार लगाने पर कई साल तक हरा चारा देगी ये घास

लखनऊ (विसं)। आमतौर पर पशुपालक चारा खरीदने पर काफी पैसा खर्च कर देते है या फिर मेहनत कर हरा चारा उगाते है, लेकिन भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) ने पशुओं को पूरे वर्ष पौष्टिक एवं हरा चारा मिल सके इसके लिए बहुवर्षीय जिजुवा चारे की घास उगाई है जिसको गाय, भैंस, बकरी सभी बड़े पशु चाव से खाते है। डेयरी वाले किसानों के लिए ये काफी फायदेमंद हो सकती है। पीलीभीत जिला मुख्यालय से लगभग 30 किमी दूर बिलसंडा ब्लॉक के भदेहीखजा गाँव में रहने वाले श्वेतांश सिंह ने लगभग चौथाई बीघा में जिजुवा घास को बोया हुआ है। चारे की बजाय वह अपनी 21 गाय (साहीवाल और गिर) को जिजुवा घास खिलाते है। चारे की तरह इसको मशीन में काटना नहीं पड़ता है और केमिकल फर्टिलाइजर की भी जरुरत नहीं पड़ती है। एक साल हो गया इसको बोए अभी तक काटकर पशुओं को खिला रहे है। गुजरात की जिन्वा घास को उत्तर भारत की जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है।

इस घास में अन्य घासों की अपेक्षा ज्यादा प्रोटीन होता है। इस घास को गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी पशु बड़े चाव से खाते है। द्वारिका (राजकोट) में उगने वाली जिजुवा घास पर बंशी गौशाला (अहमदाबाद) के संचालक गोपाल भाई सुतालिया ने एक साल तक परीक्षण किया। उन्होंने 10-10 बीघे खेत में जिजुवा सहित करीब आधा दर्जन किस्म की घास उगाई और उनको खिलाने के लिए दुधारू पशुओं को खेतों में खुला छोड़ दिया। पाया गया कि पशुओं ने जिजुवा घास को अधिक पसंद किया।

जिजुवा घास के साथ आईवीआरआई के वैज्ञानिक: इस घास को लगाने से जो किसान बार-बार चारे की फसल लगाता है उसका जो खर्चा होता है वो खत्म हो जाता है। इस घास को अगर किसान एक बार बोता है तो पांच साल तक चारा मिल सकता है। मीठी होने के कारण पशु इसको ज्यादा खाते है। आईवीआरआई ने फार्मर फर्स्ट प्रोगाम के अंतर्गत बरेली के अतरछेड़ी, निसोई और इस्माइलपुर समेत कई गाँव के किसानों को इस घास को दिया है। इससे पशुओं के दूध की गुणवत्ता भी अच्छी होती है।

किसान के पास ऐसी चारे की फसल होनी चाहिए जो कम से कम खर्च में पूरे साल चारा दें, जो किसान इस घास को बोना चाहता हैं, वो जुलाई में इसकी रुट स्लिप बो सकता है, इसको साल भर पानी के निकास वाली जमीन में बोया जा सकता है। जाड़ों के दिनों में(दिसंबर और जनवरी) इसकी बढ़वार कम होती है वरना बाकी दिनों में इसकी अच्छी फसल होती है। इस घास को किसान खेतों की मेड़ों पर और उचित पानी के निकास वाली उर्वर भूमि में लगा सकते है।

सूचना

पाक्षिक समाचार पत्र सृष्टि एग्रो में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों व लेखों में समाविष्ट सभी बातों की जांच-परख कर पाना संभव नहीं है विज्ञापनों में अपने उत्पादनों अथवा अपनी सेवाओं के बारे में विज्ञापनदाता जो दावे करते हैं, सृष्टि एग्रो समाचार पत्र उसकी कोई गारंटी नहीं लेता।
विज्ञापनों में किए गए दावों की पूर्ति यदि विज्ञापनदाता द्वारा नहीं होती है तो उसके लिए पाक्षिक सृष्टि एग्रो समाचार पत्र समूह के मुद्रक, सम्पादक, प्रकाशक व मालिक किसी भी रूप में जवाबदेह नहीं होंगे, कृपया इसे ध्यान में रखें। अतः हम पाठकों से अनुरोध करते हैं विज्ञापन में उल्लेखित बातों के संदर्भ में कोई भी करार करने से पूर्व उसके बारे में आवश्यक छानबीन कर लें।

- ZINK EDTA/COPPER
- EDTA/FF/EDTA
- 100% WATER SOLUBLE
- FERTILIZER (NPK)
- HUMIC ACID
- SEAWEED EXTRACT
- AMINO ACID
- POTASSIUM HUMATE
- FULVIC ACID
- EDDHA
- NATCA
- BRASSINOLIDE
- DAP
- SODA ASH
- SODIUM SULPHIDE
- AMONIUM CLORIDE
- SODIUM BICARBONATE
- CALCIUM CARBIDE
- PHOSPHORIC ACID
- TRI SODIUM PHOSPHATE
- CITRIC ACID
- STPP

ALL KIND OF INORGANIC
ORGANIC CHEMICALS
CONTACT NO. 022-6710-3722

कीटनाशक कंपनियों के मुनाफे पर पड़ सकता है असर

मुंबई (कासं)। अगली कुछ तिमाहियों के दौरान कृषि संबंधी सामान बेचने वाली कंपनियों के मुनाफे पर 1-2 प्रतिशत का असर पड़ सकता है। कृषि में काम आने वाले बीज और कीटनाशक दवाओं जैसी प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में कटौती की अपनी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें यह दबाव झेलना पड़ सकता है।

हाल ही में कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक में बीज और कीटनाशक दवाओं की उत्पादक कंपनियों ने इन वस्तुओं के दामों में कटौती करने पर सहमति जताई थी। जहां एक ओर बीज कंपनियों ने 10 प्रतिशत की छूट देकर सरकार की सहायतार्थ कार्य किया है, वहीं कीटनाशक दवा कंपनियां हाल ही में की गई कीमत वृद्धि को वापस लेने के लिए तैयार हो गई हैं।

इसका अर्थ यह है कि उन्हें कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली कीटनाशक दवाओं के एक वर्ग के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 15 प्रतिशत की कमी करनी होगी। इसके अलावा, ताल्लुका और ग्राम स्तर पर अधिकांश खुदरा विक्रेताओं को उत्पाद शुल्क व्यवस्था से निकलकर वस्तु एवं सेवा (जीएसटी) पद्धति में स्थानांतरित होने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा उत्पाद शुल्क से जीएसटी व्यवस्था में परिवर्तन करके सुचारु रूप से काम करने में कुछ समय लगेगा। इसलिए इस दौरान कीटनाशकों की बिक्री पर असर पड़ेगा। धानुका एग्रीटेक लि. के प्रबंध निदेशक एमडी धानुका ने कहा कि कीटनाशक उद्योग उधार पर बिक्री की भी पेशकश करता है। इसलिए जीएसटी व्यवस्था शुरू होने से इन कंपनियों को खुदरा विक्रेताओं के नुकसान का कुछ मुआवजा देने की जरूरत होगी। कुछ माल भी लौटाया जा सकता है।

इन सब से जीएसटी व्यवस्था के शुरुआती दौर में कृषि संबंधी सामान वाली कंपनियों के मुनाफे पर 1-2 प्रतिशत तक का असर पड़ सकता है। इस बीच, अधिकतर बीज कंपनियां पहले ही अपने उत्पाद वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को भेज चुकी हैं क्योंकि मॉनसून से पहले ही खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। हालांकि इस मॉनसून के दौरान भारतीय मौसम विभाग के सामान्य बारिश के पूर्वानुमान ने इस साल खरीफ की जोरदार उपज की आशा जगाई है, वहीं कृषि के सामान वाली कंपनियां अपनी बढ़िया बिक्री के लिए उम्मीद लगाए हुए हैं। धानुका ने कहा कि जुलाई का पहला पखवाड़ा इस साल खरीफ की उपज की दशा निर्धारित कर देगा। उधर सरकार ने बीज कंपनियों से सभी संकर बीजों (बीटी कपास के अलावा) के दाम 10 प्रतिशत तक कम करने के लिए कहा है। यह कटौती 19 जून से प्रभावी हो गई। इस कदम का उद्देश्य उन किसानों को राहत पहुंचाना है जिनका मुनाफा ऊंची उत्पादन लागत की वजह से कम हो रहा है और जोरदार उपज के कारण कमाई मंद हो चुकी है।

कीटनाशक की बढ़ी कीमतें वापस

मुंबई (कासं)। सरकार के दबाव के बाद कीटनाशक निर्माता अपने उत्पादों की कीमतों में की गई बढ़ोतरी वापस लेने को तैयार हो गए हैं। करीब दो सप्ताह पहले एक दर्जन से अधिक उत्पादों की कीमतों में 5 से 10 फीसदी का इजाफा किया गया था। उच्च मांग वाले मौसम के ऐन पहले जून के आरंभ में कीटनाशक निर्माताओं ने अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी थी। कृषि मंत्रालय को यह नागवार गुजरा क्योंकि उनके कच्चे माल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ था। इसका अर्थ यह हुआ कि कीटनाशक निर्माताओं ने यह इजाफा मनमाने ढंग से किया था क्योंकि उन्हें खरीफ सत्र में मांग में इजाफा होने का अंदाजा हो गया था। सामान्य तौर पर कीटनाशक निर्माता बुआई के पहले अधिकतम खुदरा कीमत बढ़ा देते हैं। परंतु केंद्रीय कृषि मंत्री ने इन निर्माताओं की एक बैठक बुलाकर उनसे इस मनमानी मूल्य वृद्धि पर स्पष्टीकरण मांगा। पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर्स ऐंड फॉर्मुलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप दवे ने कहा, हम मंत्रालय के अधिकारियों से मिले और अपनी स्थिति स्पष्ट की। उद्योग ने हाल ही में 12 से अधिक उत्पादों की कीमतें बढ़ाई थीं और अब उसने मंत्रालय को आश्वस्त किया है कि यह बढ़ोतरी वापस ली जाएगी। दवे ने स्पष्ट किया कि तकनीकी श्रेणी के उत्पादों की कीमत में 5-10 फीसदी का इजाफा चीन के कृषि मौसम और बढ़ती मांग को देखते हुए किया गया। वहीं दो तीन संयंत्रों के विस्तार की प्रक्रिया के चलते उपलब्धता पर भी असर पड़ा और समस्या गहरा गई। उक्त उत्पादों को बनाने में तकनीकी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और अधिकतम खुदरा मूल्य में इस बढ़ोतरी के समायोजन की क्षमता है। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों के दाम नहीं बढ़े हैं। यह आयातकों द्वारा की गई गलतबयानी है जिसके बारे में हमने मंत्रालय को बता दिया। कृषि मंत्रालय को दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि भारतीय कीटनाशक उद्योग सबसे कम कीमतों पर किसानों की फसल को सुरक्षा मुहैया करा रही है। घरेलू कीटनाशक निर्माताओं ने इस पूरे विवाद के लिए आयातक लॉबी को जिम्मेदार बताया है।

इस बीच कीटनाशक निर्माताओं ने सरकार से कहा है कि कृषि क्षेत्र की जरूरत को देखते हुए कीटनाशकों पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी जाए। कीटनाशक उत्पादों की कीमत में कमी तभी बरकरार रह पाएगी जबकि जीएसटी को 5 फीसदी के न्यूनतम स्तर पर रखा जाए। इतना ही नहीं जेनेरिक कीटनाशकों की कीमत में किसी भी तरह की कमी के लिए किसी भी तरह की परिचालन लागत या कच्चे माल की लागत में कमी नहीं आई है। बिजली के दाम बढ़े हैं और तेल की कीमतें भी। मूल्य वृद्धि उचित है क्योंकि कराधान में कोई राहत नहीं है और कच्चे माल की लागत बढ़ रही है।

UDIT OVERSEAS PVT. LTD.

N.P.K. 100%WATER SOLUBLE FERTILIZER

- 19.19.19.
- 13.0.45(POTASSIUM NITRATE)
- 12.61.00 (MAP)
- 0.50.34 (MKP)
- 0.0.50 (SOP)
- CALCIUM NITRATE
- SRUSHTI HIZINC (MICRONUTRIENT MIXTURE)
- ZINC EDTA 12%
- ZINC SULPHATE 33%
- FERROUS EDTA 12%
- ZINC 21%
- FERROUS 19%
- MAGNESIUM
- BOORON 20%
- COPPER SULPHATE 24%
- SULPHUR 90% WG

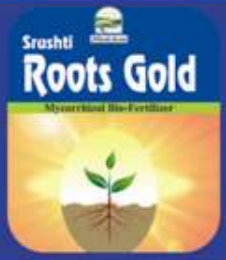

BIO FERTILIZERS

- MYCORRHIZA (ROOTS GOLD)
- AZOTOBACTOR
- RHIZOBIUM
- AZOSPIRILLUM
- PHOSPHATIC SOLUBILISING BACTERIA (PHOS UP)
- POTTASIUM MOBILIZING (POTA RISE)

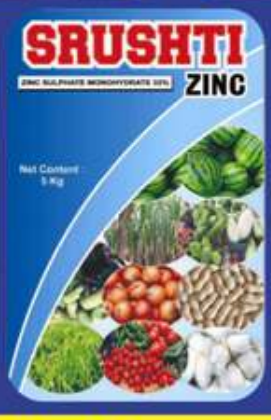

WELCOME INQUIRY Contact : 7728897567

137, Industrial Area Dehra, Tehsil Chomu, Dist, Jaipur

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - सुरेश जी. शर्मा की ओर से सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, शर्मा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-63 से मुद्रित किया और 307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड मालाड (प), मुंबई-400064 यहां से प्रकाशित किया। सम्पादक : सुरेश जी. शर्मा, Contace Detail : Tel. 022-66998360/61, Fax : 022-66450908
E-mail : info@srushtiagronews.com, website : www.srushtiagronews.com RNI No. MAHHIN/2013/49425